अनुदान

साझेदारी के लिए हमें ऐसे नये प्रयासों की तलाश है जिनमें ताज़ी सोच हो, और जो व्यापक रूप से यानी होलिस्टिक तरीक़े से अलग-अलग तबक़ों को सम्मिलित करते हुए अपना काम करें, ताकि समाज के सबसे दरकिनार समुदायों व व्यक्तियों की भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच बन सके.

अनुदान के प्रकार

कार्यक्रम सृजन
निरंतर सहयोग
बराबर का सह-समर्थन
परिचालन समर्थन

सम्मेलन / सेमिनार
सामाजिक कार्यकर्ताओं / समूहों को अनुदान
समूह का गठन
क्षमता निर्माण

हमारे आदर्श साझेदार की प्रोफ़ाइल के बारे में अधिक जानें **>**

अनुदान-संबंधी प्राथमिकताएं

MHI की अनुदान-प्रक्रिया इस बात पर ज़ोर देती है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य की ऐसी व्यापक परिस्थिति (ईकोसिस्टम) की संरचना की जाए जिसका हर पहलू सशक्त-संपूर्ण हो। हमें उन संस्थाओं और समूहों के साथ काम करने में रुचि है जो समाज की -- ख़ास तौर पर विभिन्न रूप से पिछड़े और वंचित समुदायों की -- ज़रूरतों का ख़याल रखते हुए, नए व कारगर तरीकों से मानसिक सेहत और ख़ुशहाली को बढ़ावा देते हों.

360° दृष्टिकोण

हम मानसिक स्वास्थ्य के ऐसे ईकोसिस्टम, या माहौल-व्यवस्था, में विश्वास रखते हैं जो पांच

स्तंभों पर टिका है: जागरूकता; गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण; असरदार तरीक़े से सेवाएं प्रदान करना; सुदृढ़ संप्रेषण (रेफ़रल) प्रणाली; और निरंतर शोध.

समुदाय-आधारित, लोक-प्रेरित

मानसिक सेहत और ख़ुशहाली के लिए ऐसे प्रयासों की ज़रुरत है
जो प्रचलित मॉडल के अस्पताल-निर्भरता से और दवा-चिकित्सा पर अत्यधिक भरोसे से अलग हों. हम इस नज़रिये से सहमत संस्थाओं के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो पुरानी पद्धतियों से हटकर नए और विविध तरीक़े विकसित कर रहे हों.

सर्वव्यापी पहुंच

हमारा मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य क्योंकि एक सर्वव्यापी मुद्दा है, इसकी सेवाओं तक उन लोगों और समुदायों की पहुंच स्थापित करनी चाहिए जो ख़ुद को समाज के हाशियों पर पाते हैं.

रहस्यवाद हटाना और सामाजिक कलंक मिटाना

ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यनीतियां हैं, लोगों को मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों का लाभ उठाने, और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बिना झिझक बात कर पाने की दिशा में प्रोत्साहित करने के लिए.

संभावित साझेदारी परियोजनाओं के लिए अनुदान की प्रक्रिया

आवश्यक है कि संभावित आवेदक इन दस्तावेज़ों में दर्ज MHI की फ़ंडिंग सिद्धांतों से परिचित हो जाएं

नैतिक दिशा-निर्देश
अनुदान दिशा-निर्देश

आवेदन भेजने के दिशा-निर्देश

1 **बुनियादी रुपरेखा**

प्रस्तावित परियोजना यानी प्रॉजेक्ट की रूपरेखा MHI को ई-मेल करें.

2 **प्रॉजेक्ट प्रस्ताव और योजना**

MHI के ज़रिये दिलचस्पी ज़ाहिर होने पर, एक विस्तृत परियोजना प्रस्ताव मांगा जाएगा, जिसमें कार्य-विधि योजना, निष्पादन यानी कार्य मूल्यांकन के मेट्रिक्स, या मानक, और विस्तृत बजट सहित आवेदन करने वाली संस्था के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए.

3 **प्रॉजेक्ट स्वीकृति**

आवेदन के स्वीकार होने पर दोनों पक्षों के बीच इक़रारनामे में प्रॉजेक्ट से जुड़ी सभी तय गतिविधियों और सूचकों को शामिल किया जाएगा, साथ ही साझीदार यानी पार्टनर की बजटीय प्रतिबद्धताएं और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं भी दर्ज़ की जाएंगी.

परियोजना चरण

4 **प्रगति रिपोर्ट**

साझीदारों को तिमाही, या छमाही, प्रगति और वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होंगी. इनमें लक्ष्यों की प्राप्ति और इससे जुड़ी चुनौतियों के समाधान के विवरण के साथ-साथ गतिविधियों के परिणाम की जानकारी होनी चाहिए.

5 **अंतिम रिपोर्ट**

अनुदान अवधि के अंत में संस्था को एक अंतिम प्रॉजेक्ट रिपोर्ट और एक अंतिम वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होंगी.

6 **बाहरी मूल्यांकन और भविष्य की योजनाएं**

पूर्व-निर्धारित शर्तों के अनुसार किसी बाहरी एजेंसी को परियोजना मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा जाएगा. साझीदार संस्था से पूछा जाएगा कि आगे चलकर, MHI के अनुदान की अनुपस्थिति में, प्रॉजेक्ट के लक्ष्यों पर बने रहने की उसके पास क्या कोई योजना है.